राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी — मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर-- 291 / 2024
GCMS No. 2024 / 538

नीरज सैनी पुत्र शीशराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 18 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. सन्तरा देवी पत्नी लक्ष्मण
2. गुल्शन कुमार पुत्र लक्ष्मण
   जाति माली निवासी वार्ड नं. 18 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी — श्री रामनरेश सैनी

:: निर्णय :: **दिनांक :— 20—05—2025**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 144 के ख. नं. 559 रकबा 0.19 है., ख.नं. 560 रकबा 1.56 है., ख.नं. 561 रकबा 1.75 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.50 है. का वादी का पिता संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता का सही नाम शीशराम सैनी पुत्र झाबर मल सैनी है जो वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व मतदाता पहचान पत्र आदि में दर्ज है लेकिन वाद वर्णित भूमि में भूलवश शिशपाल पुत्र झाबर दर्ज हो गया जो गलत है जबकि सही नाम शीशराम सैनी पुत्र झाबर मल सैनी है। वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम गलत दर्ज [illegible] से [illegible] व उसके भाई बहिनों के नाम से विरासतन नामांतरकरण दर्ज नहीं हो रहा है जिस[illegible] वादी को भारी हकतलफी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

इस कारण वादी को नाम दुरस्ती की घोषणा करवाने के लिए वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 144 के ख.नं. 559 रकबा 0.19 है., ख.नं. 560 रकबा 1.56 है., ख.नं. 561 रकबा 1.75 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.50 है. में दर्ज वादी के पिता का नाम शीशपाल पुत्र झाबर हजफ किया जाकर उसके स्थान पर शीशराम सैनी पुत्र झाबर मल सैनी घोषित किया जाकर रिकार्ड राजसव में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 3 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/1308 दिनांक 22.10.2024 से बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खेतड़ी की मूल जांच रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता सं. 144 ग्राम टीलावाली, फोटो प्रति आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रति, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र शीशराम सैनी, फोटो प्रति आधार कार्ड नीरज सैनी, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ–पत्र नीरज सैनी पुत्र शीशराम सैनी (पी.डब्ल्यू.–1), सन्तरा देवी पत्नी लक्ष्मण (पी.डब्ल्यू.–2), गुल्शन कुमार पुत्र लक्ष्मण (पी.डब्ल्यू.–3) का भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/1308 दिनांक 22.10.2024 द्वारा वादी का नाम शीशपाल पुत्र झाबर के स्थान पर शीशराम सैनी पुत्र झाबर मल किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। राजस्व ग्राम टीलावाली की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 144 में वादी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मद्देनजर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **टीलावाली** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 144 में वादी का वर्तमान में दर्ज नाम **"शीशपाल पुत्र झाबर"** के स्थान पर **"शीशराम सैनी पुत्र झाबरमल"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner